

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!
क्रमांक : स्था./28/2026/12219

दिनांक : 23/4/26

: : आदेश : :

I

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 14112/2024 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं 7564/2023 में पारित आदेशों की अनुपालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)88/2022/463 दिनांक 18.04.2026 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

S. N.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE WITH FATHER'S NAME SH/MISS/SMT	ADDRESS	DOB	CATEGORY	GENDER
1	175087	BHAWANA CHAUHAN D/O SAJEET SINGH CHAUHAN	442 A SOUTH WEST BLOCK ALWAR	26.05.2000	EWS	F
2	175405	ASHISH SHARMA S/O CHIRANJI LAL SHARMA	VPO KOLAHERA TH. NARAYANPUR, ALWAR	17.11.1993	EWS	M
3	175433	SAPNA CHOUDHARY D/O VIJAY SINGH CHOUDHARY	H-19, JANTA COLONY, MUNGASKA, ALWAR	05.08.1999	OBC	F

- सभी नियुक्तियों कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एकसाथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण के सम्बंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- अभ्यर्थी को दिनांक 30.04.2026 से पूर्व आदेश क्र-**II** में अंकित पदस्थापन कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज.)

8. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

II

आदेश कम-I में वर्णित अभ्यर्थीगण का निम्नानुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर कॉलम सं. 3 में अंकित कार्यालय में पदस्थापन किया जाकर आगामी आदेश तक कार्यव्यवस्था के तहत कार्य करने हेतु कॉलम सं. 5 में अंकित कार्यालय में लगाया जाता है :-

S. No.	NAME OF CANDIDATE SH/MISS/SMT	PLACE OF POSTING	REMARKS	Work Arrangement Court
1	2	3	4	5
1	BHAWANA CHAUHAN	ACJM No. 3, Alwar	VACANT POST	ACJM No. 5, Alwar
2	ASHISH SHARMA	ACJ&JM No. 2, Alwar	VACANT POST	CJ&JM, Thanagazi
3	SAPNA CHOUDHARY	ACJM No. 1, Alwar	VACANT POST	-

नोट :-

- 1- कॉलम सं. 3 में अंकित कार्यालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश है कि वे उपरोक्त अभ्यर्थीगण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मूल उपस्थिति प्रतिवेदन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मैडिकल मूल फिटनेस प्रमाणपत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
- 2- इन अभ्यर्थीगण को राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) के आदेश दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल IV के अनुसार एक कलैण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
- 3- इन अभ्यर्थीगण को पदस्थापन कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र
दिनांक : 23/4/26

कमांक : स्था./2026/12220-32

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अलवर/सं. 3 अलवर/सं. 5 अलवर
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी
4. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, अलवर
5. श्री/सुश्री/श्रीमती.....को [जिसे रजिस्टर्ड डाक]।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को जिला न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित अभ्यर्थी की ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करने हेतु।
7. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र